न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 559/2026

शेर खान उर्फ बल्लू पुत्र अरसाद उम्र 24 साल निवासी जैतपुर थाना खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

-प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एफआईआर नं. 154/2026 पुलिस थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 111(2)(b) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66C, 66D IT Act

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	06.06.2026
अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण	-

उपस्थितः-

1. श्री हेतराम मीना, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 13.06.2026

1. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त शेर खान उर्फ बल्लू पुत्र अरसाद का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2026 से खारिज किए जाने पर उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.06.2026 को ASI दौलत सिंह, चौकी छाण थाना खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निर्देश पर संदिग्ध म्यूल अकाउंट संख्या 3174462535, Central Bank of India शाखा छाण की जांच की गई। बैंक से प्राप्त खाता खोलने के दस्तावेजों एवं स्टेटमेंट के अवलोकन से यह

खाता शेर खान पुत्र अरशाद निवासी जैतपुर, थाना खण्डार के नाम होना पाया गया। राष्ट्रीय साइबर समन्वय पोर्टल (JMIS/1930) पर जांच करने पर उक्त खाते के विरुद्ध तेलंगाना निवासी पीड़िता एस. राजिथा द्वारा निवेश (Investment) के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होना सामने आया। शिकायत के अनुसार टेलीग्राम पर धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों के माध्यम से कुल 7,200/– रुपये उक्त खाते में जमा कराए गए थे। इसके बाद राशि अन्य खातों में स्थानांतरित कर दी गई। पूछताछ में उसने खाता स्वयं का होना स्वीकार किया। उसके कब्जे से एक OPPO Reno 11 5G मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया तथा विस्तृत डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया। शेरखान ने बताया कि उसने अपना PhonePe स्कैनर वसीम एवं साजिम नामक व्यक्तियों को उपयोग हेतु दे रखा था। जांच में यह भी सामने आया कि निवेश (Investment) के नाम पर टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को झांसा देकर साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी तथा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि उक्त खाते में ट्रांसफर कर निकाली जाती थी। प्रारंभिक जांच एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि शेरखान का बैंक खाता साइबर ठगी में प्रयुक्त हुआ है तथा उसके मोबाइल और बैंकिंग लेन–देन की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार टेलीग्राम/व्हाट्सएप के माध्यम से निवेश का प्रलोभन देकर ऑनलाइन ठगी करने में उसकी संलिप्तता संदिग्ध पाई गई .... इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 154/2026, धारा 319(2), 318(4), 111(2)(ख) BNS एवं धारा 66C, 66D IT Act में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4), 111(2)(ख) BNS एवं धारा 66C, 66D IT Act के अपराध में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप ही बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य संकलित नहीं हुई है। वह दिनांक 06.06.2026 से अभिरक्षा में है। उससे कोई बरामदगी नहीं की जानी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अन्वेषण के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4), 111(2)(ख) भारतर्य न्याय संहिता एवं धारा 66C, 66D IT Act के अधीन दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर संयुक्त रूप से साईबर अपराध कारित कर अज्ञात लोगों से टेलीग्राम, वाट्सअप के माध्यम से सम्पर्क कर एवं इन्वेस्टमेंट के नाम पर साईबर फ्रोड कर राशि स्वयं के बैंक खाते में जमा करवायी गयी है एवं म्यूल एकाउण्ट की जाँच में प्रार्थी के बैंक खाते के सम्बन्ध में साईबर पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज होना पाया है। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित अपराध योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध है तथा वर्तमान में साईबर अपराध अपनी चरम सीमा पर है एवं प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की सक्रिय संलिप्तता अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्य से स्पष्ट होती है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर पूर्ण मनन करने एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर विस्तृत टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त शेर खान उर्फ बल्लू पुत्र अरसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र तहत धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर

9. आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर